

पत्र सं.प्र.-5/सू.अ.-18-06/2013:-

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक:- अवधेश कुमार शर्मा,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,  
जल संसाधन (लघु सिंचाई सहित) विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक:-

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुश्री ज्योत्सना कुमारी को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- जन सूचना पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का  
गै.स.प्रे.सं.-3529 दिनांक-29.06.13 एवं पत्रांक-3910 दिनांक-29.07.13

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र एवं इसके साथ प्राप्त सुश्री ज्योत्सना कुमारी का अभ्यावेदन दिनांक-25.06.13 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि अभ्यावेदन में वर्णित कंडिकावार बिन्दुओं पर सही स्थिति की जानकारी अवर सचिव, जन सूचना पदाधिकारी को पत्र प्राप्ति के 2 (दो) दिनों के अंदर उपलब्ध कराते हुए विभाग को सूचित करने की कृपा की जाय।

~~अवर सचिव~~

विश्वराभाजन

ह0/-

(अवधेश कुमार शर्मा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक:-

/राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-अवर सचिव (प्र.)-सह-जन सूचना पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अवधेश कुमार शर्मा)

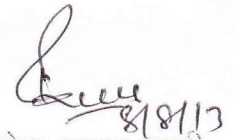
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक :-

4491 / राँची, दिनांक:- 8-8-13

प्रेषित।

प्रतिलिपि:-विभागीय वेब मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु



(अवधेश कुमार शर्मा)

सरकार के अवर सचिव।

4/8/13

R2000

080769126511

27-6-13

(5)

सेवा में

दिनांक

25/6/13

लोक सूचना पदाधिकारी  
जल संसाधन विभाग  
झारखण्ड सरकार  
राँची-

विषय:- जल संसाधन विभाग एवं इसके अधीनस्थ सलग्न कार्यालयों के लिए आशुटकक के आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित करने संबंधी पत्र तथा दिनांक 1-1-96 के अनुसार जल संसाधन विभाग बिहार, पटना के मुख्यालय एवं सलग्न मुख्य अभियंता कार्यालयों में आशुटकक संवर्ग के सज्जित पदों का कार्यालयवार विवरणी "सूचना अधिकार अधिनियम-2005" के तहत उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदनपूर्वक कहना है कि निम्नलिखित दस्तावेज "सूचना अधिकार अधिनियम-2005" के तहत उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

- 1- जल संसाधन विभाग, एवं इसके अधीनस्थ सलग्न कार्यालयों के लिए आशुटकक के आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित करने संबंधी पत्र तथा
- 2- दिनांक 1-1-96 के अनुसार जल संसाधन विभाग बिहार, पटना के मुख्यालय, सलग्न कार्यालयों तथा मुख्य अभियंता, कार्यालयों में आशुटकक संवर्ग के सज्जित पदों का कार्यालयवार विवरणी।

उपरोक्त दोनों पत्रों को प्राप्त करने हेतु मैं दस रुपये का भारतीय पोस्ट आर्ड संख्या-18F-052328 दिनांक 19-6-2013 मूल में सलग्न कर प्रेषित कर रही हूँ।

अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे "सूचना अधिकार अधिनियम-2005" के तहत उपरोक्त पत्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथावत

विश्वासभाजन

ज्योत्सना कुमारी  
(ज्योत्सना कुमारी)

मकान न0-48, लाइन न0-4

ब्लॉक-ए, दुईलाड़गरी

पोस्ट-गोलमूरी, जमशेदपुर-831 003

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग ।

प्रपत्र,

सरकार के उप सचिव ।

संख्या २०,

महालयाकार, बिहार,

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना एवं राँची ।

वित्त विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक - 2/1/5/2002

विषय:- जल संसाधन विभाग, बिहार एवं इसका अधीनस्थ संलग्न कार्यालयों के लिए अधीक्षक/ प्रधान टंकक एवं टंकक के आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित करने के संबंध में ।

महाप्राप्त,

वित्त विभाग के संकल्प सं0-3/एम0 2-5/99-660 1 फ0 2 दिनांक-08.2.99 की कंडिका 12 में निहित प्रावधान के अलावा जल संसाधन विभाग एवं इससे संलग्न कार्यालयों के लिए अधीक्षक/ प्रधान टंकक टंकक के आवश्यकता आधारित पदों को निदेशानुसार चिन्हित करने का निर्णय लिया गया है ।

2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 30.12.81 में निहित प्रावधान के अलावा दिनांक-01.04.87 से दिनांक- 01.04.92 तक स्वीकृत बजट के आधार पर टंकक/ कनिष्ठ प्रवर कांटे टंकक / वरीय प्रवर कांटे टंकक/ अधीक्षक के लिए स्थायी एवं अस्थायी पदों का वर्गीकरण वित्त विभाग की सहमति से विभागीय पत्रांक- 448 दिनांक- 11.2.93 द्वारा किया गया था, जो निम्न प्रकार था:-

| क्रमांक | परनाम एवं वर्तमान                | स्थायी | अस्थायी | कुल योग |
|---------|----------------------------------|--------|---------|---------|
| 1       | टंकक- 680-965                    | 68     | 12      | 80      |
| 2       | कनिष्ठ प्रवर कांटे टंकक-730-1080 | 20     | 04      | 24      |
| 3       | वरीय प्रवर कांटे टंकक-850-1360   | 10     | 02      | 12      |
| 4       | अधीक्षक- 850-1510                | 03     | 01      | 04      |
|         | कुल योग:-                        | 101    | 19      | 120     |

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-12757 दिनांक- 11.12.74 एवं 5515 दिनांक- 05.5.81 के अलावा जल संसाधन विभाग के परामर्श के पश्चात् प्रवर कांटे के पदों का वर्गीकरण विभागीय पत्रांक- 6253 दिनांक- 16.10.81 द्वारा दिनांक- 01.04.81 को निम्न प्रकार किया गया था:-

| विव     | वरीय प्रवर कांटे प्रधान टंकक (अधीक्षक) | कनिष्ठ प्रवर कांटे प्रधान टंकक | प्रधान टंकक    | टंकक           | कुल |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----|
|         | 580-840/-                              | 505-665                        | 426-571/-      | 296-460/-      |     |
|         | स्थायी अस्थायी                         | स्थायी अस्थायी                 | स्थायी अस्थायी | स्थायी अस्थायी |     |
| 01.4.81 | 02 02                                  | 04 04                          | 08 10          | 39 46          | 115 |

(कृपया)

उपरोक्त कडिका-3 में उल्लिखित वर्गीकृत पद के आधार दिनांक- 01.01.96 के प्रभाव से अधीक्षक/ प्रधान टंकक एवं टंकक के आवश्यकता आधारित पद का निम्न प्रकार चिन्हित किया जाता है:

| तिथि                                                                                                                            | अधीक्षक (टंकक)<br>(5000-150-8000) |         | प्रधान टंकक<br>(5000-150-8000) |         | टंकक<br>(4000-100-6000) |         | कुल |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|---------|-------------------------|---------|-----|
|                                                                                                                                 | स्थायी                            | अस्थायी | स्थायी                         | अस्थायी | स्थायी                  | अस्थायी |     |
| 01.01.96 (पूरुवगत)                                                                                                              | 02                                | 00      | 11                             | 00      | 57                      | 00      | 70  |
| मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में                                                                                                  | 00                                | 00      | 09                             | 00      | 36                      | 00      | 45  |
| विभागीय राज्यादेश<br>सं०-3611 दिनांक- 18.5.83<br>द्वारा प्रशासनिक सुवर्णरिखा<br>बादशाहीय परियोजना<br>जयपुर के लिए स्वीकृत<br>पद |                                   |         |                                |         |                         | 01      | 01  |
| विभागीय राज्यादेश<br>सं०-2212 दिनांक- 01.11.83<br>द्वारा जल एवं भूमि प्रबंधन<br>संस्थान (नागपुर) पटना के<br>लिए स्वीकृत पद ।    |                                   |         |                                |         |                         | 04      | 04  |
| कुल                                                                                                                             | 02                                |         | 20                             | 00      | 93                      | 05      | 120 |

5. उपयुक्त स्थिति राज्य विभाजन तक रहणी । उसके बाद की तिथि में मुख्यालय में टंकक अधीक्षक मात्र 1 तथा प्रधान टंकक के 8 पद रह जायेंगे । क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रधान टंकक का पद उनकी अवस्थिति (Location) के अनुसार विभाजित होगा ।

6. उपयुक्त पदों का ध्येय भार निम्नांकित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत भारित होगा:-

(I) 3451- सचिवालय आर्थिक सेवाये जल संसाधन विभाग ।

(II) 2701- ग्रहद एवं माध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर स्थापना व्यय ।

(III) 2711- खाद नियंत्रण ।

(IV) 4701- ग्रहद एवं माध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर रज्जी परीक्षण ।

(V) 4711- खाद नियंत्रण परियोजनाओं पर पैली परीक्षण ।

7. (क) जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान का 01.09.99 से स्वशासी निकाय बना दिया गया है । अतः टंकक-04 अस्थायी पद समाप्त माना जायगा ।

विश्वासभाजन,

82

सरकार के उप सचिव ।

दिनांक 01.01.96 के अनुसार जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के मुख्य एवं संलग्न मुख्य अभियंता कार्यालय में अधीक्षक/प्रधान टंकक एवं टंकक सम्पूर्ण के युजित पदों का कार्यालयवार विवरण :-

|                |                                                   | अधीक्षक | प्रधान टंकक | टंकक | कुल |
|----------------|---------------------------------------------------|---------|-------------|------|-----|
|                | मुख्यालय                                          | 02      | 11          | 57   | 70  |
| प०-1028        | मुख्य अभियंता कार्यालय, समस्तीपुर                 |         | 01          | 04   | 05  |
| दिनांक-25.2.85 | मुख्य अभियंता कार्यालय, दखर                       |         | 01          | 04   | 05  |
|                | मुख्य अभियंता कार्यालय, केन्द्रीय रूपान्तरण, पटना |         | 01          | 04   | 05  |
|                | मुख्य अभियंता कार्यालय, योजना एवं पा०, पटना       |         | 01          | 04   | 05  |
| प०-1029        | मुख्य अभियंता कार्यालय, समग्र योजना-2, पटना       |         | 01          | 04   | 05  |
| दिनांक-25.2.85 | मुख्य अभियंता कार्यालय, समग्र योजना-3, पटना       |         | 01          | 04   | 05  |
|                | मुख्य अभियंता कार्यालय, शोध एवं प्रशिक्षण, पटना   |         | 01          | 04   | 05  |
| प०-1030        | मुख्य अभियंता कार्यालय, चाण्डान कमालकम, जमशेदपुर  |         | 01          | 04   | 05  |
| दिनांक-2.2.85  | मुख्य अभियंता कार्यालय, इच्छामुडीह, जमशेदपुर      |         | 01          | 04   | 05  |
| प०-3611        | प्रशासक, स्वर्णरेखा परियोजना, जल संसाधन           |         |             | 01   | 01  |
| दिनांक-18.5.83 |                                                   |         |             |      |     |
| प०-7212        | मुख्य अभियंता (निदेशक), वाल्मी फुलवारी, पटना      |         |             | 04   | 04  |
| दिनांक-1.11.83 |                                                   |         |             |      |     |
|                | कुल:-                                             | 02      | 20          | 98   | 120 |

(चन्द्रशेखर पासवान)

सरकार के उप सचिव,

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

12/2/85

नामांक- 21/27 /पटना, दिनांक- 21-5-2012

प्रतिनिधि वित्त विभाग (प्रशाखा-3) बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बजट शाखा,  
पटना/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदलीय परिवारना, जमशेदपुर/ सभी शुद्ध अभियन्ता, जल संसाधन वि  
बिहार/ निबंधक/ प्रशाखा पर्याधकारी-01.02.20 जल संसाधन विभाग का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य  
हनु प्रेषित ।

सरकार के उप मन्त्रि ।

4/5  
2015